

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2025—चैत्र 28, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, सुनैना तिवारी पति सुरेश तिवारी, निवासी—74, साई बाबा मंदिर के पास, नर्मदा रोड, रामपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुमन पति सुरेश दर्ज है। मेरे मतदाता परिचय—पत्र व समस्त शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय से जाना—पहचाना, पढ़ा एवं लिखा जावेगा।

पुराना नाम

(सुमन)

पति सुरेश

(Suman)

W/o Suresh

(G-1508)

नया नाम

(सुनैना तिवारी)

पति सुरेश तिवारी

(Sunaina Tiwari)

W/o Suresh Tiwari

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम गीता शर्मा था। जो मेरे आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में दर्ज है तथा विवाह उपरांत मेरा नाम नीलम शर्मा हो गया है जो मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मेरे द्वारा अपना नाम गीता शर्मा से बदलकर नीलम शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे नीलम शर्मा के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व मान्य किया जावे।

प्रेषक

(नीलम शर्मा)

पत्नी—गिरजा शंकर शर्मा

निवासी—वार्ड—6, वीरेन्द्र नगर, भिण्ड (म.प्र.)

(G-1509)

नाम परिवर्तन

मैं, लील कण्ठ पिता गिरजा प्रसाद, निवासी—म.नं. 106, ग्राम परतला, पोस्ट पड़वार, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नीलकंठ दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जिसके स्थान पर लील कण्ठ करवाना चाहता हूँ तथा लील कण्ठ एवं नीलकंठ उक्त दोनों नाम मेरे याने एक ही व्यक्ति के नाम है. प्रकाशन उपरांत मुझे लील कण्ठ के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| पुराना नाम (नीलकंठ) | नया नाम (लील कण्ठ) |
|------------------------|-----------------------|

(G-1510)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश चंद खटवानी पुत्र श्री नन्द लाल खटवानी, निवासी—हाउस नं. 521, गेलानी पटिया वाला, सिंधी कालोनी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में त्रुटिवश प्रकाश खटवानी एवं प्रकाश चंद खटवानी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रकाश चंद खटवानी (PRAKASH CHAND KHATWANI) पुत्र श्री नन्द लाल खटवानी नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में प्रकाश चंद खटवानी (PRAKASH CHAND KHATWANI) पुत्र श्री नन्द लाल खटवानी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| पुराना नाम (प्रकाश खटवानी) | नया नाम (प्रकाश चंद खटवानी) |
|-------------------------------|--------------------------------|

एवं

| | |
|---------------------|--------------------------|
| (प्रकाश चंद खटवानी) | (PRAKASH CHAND KHATWANI) |
|---------------------|--------------------------|

(G-1511)

नाम परिवर्तन

मैं, बगदीराम पिता खेमराज (BAGADEERAM S/o KHEMARAJ), निवासी—मकान नंबर 29, वार्ड नंबर 16, ग्राम बडोली, पोस्ट थडोली, तहसील नीमच व जिला नीमच (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम बगदीराम पिता खेमराज (BAGADEERAM S/o KHEMARAJ) दर्ज है, अब मैंने मेरा नाम बदलकर बगदीराम मेघवाल पिता खेमराज (BAGDIRAM MEGHWAL S/o KHEMRAJ) रख लिया है, अब मुझे बगदीराम मेघवाल पिता खेमराज (BAGDIRAM MEGHWAL S/o KHEMRAJ) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अद्वशासकीय एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| पुराना नाम (बगदीराम) | नया नाम (बगदीराम मेघवाल) |
|-------------------------|-----------------------------|

पिता खेमराज

| | |
|--------------|--------------------|
| (BAGADEERAM) | (BAGDIRAM MEGHWAL) |
|--------------|--------------------|

S/o KHEMARAJ

(G-1512)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम वीरेन्द्र पुत्र श्री प्रेमनारायण, निवासी—ग्राम खामखेड़ा, तह. व जिला विदिशा (म.प्र.) का निवासी हूँ. मेरा आधार कार्ड में मेरा नाम वीरेन्द्र दर्ज था और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पुष्पराज दर्ज हो गया है. जो गलत है, अतः प्रकाशन उपरांत पुष्पराज के स्थान पर मेरा सही व दस्तावेज वार्तविक नाम वीरेन्द्र दर्ज कराना चाहता हूँ तथा भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना जावेगा.

| | |
|----------|-------------------------|
| (G-1513) | प्रार्थी (वीरेन्द्र) |
|----------|-------------------------|

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम बावरी पुत्र श्री अम्बाराम बावरी, जाति बावरी, निवासी—ग्राम जावी, पोस्ट जावी, तहसील व जिला नीमच (म.प्र.). मेरी पुत्री की जन्म पंजीयन व अन्य समस्त दस्तावेज में नाम ममता पुत्री घनश्याम (MAMTA D/o GHANSHYAM) दर्ज है, अब मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में गलती से मंजू पुत्री घनश्याम (MANJU D/o GHANSHYAM) है, इसलिए अब मैंने मेरी पुत्री का नाम बदलकर ममता पुत्री घनश्याम (MAMTA D/o GHANSHYAM) रख लिया है। अब मेरी पुत्री को ममता पुत्री घनश्याम (MAMTA D/o GHANSHYAM) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय स्कूल, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

| | |
|----------------------|---|
| पुराना नाम (मंजू) | नया नाम (ममता) पुत्री-घनश्याम (MAMTA) D/o GHANSHYAM |
|----------------------|---|

(G-1514)

नाम परिवर्तन

मैं, देवकन्या इन्द्र पति बंशीलाल यादव (DEVKANYA INDRA W/o BANSHILAL YADAV), निवासी—मकान नंबर 310 से 673, ग्राम सावाखेड़ा, तहसील व जिला भन्दसौर (म.प्र.). आधार कार्ड में मेरा नाम देवकन्या इन्द्र पति बंशीलाल यादव (DEVKANYA INDRA W/o BANSHILAL YADAV) दर्ज है, अब मैंने मेरा नाम बदलकर देवकन्या यादव पति बंशीलाल (DEVKANYA YADAV W/o BANSHILAL) रख लिया है, अब मुझे देवकन्या यादव पति बंशीलाल (DEVKANYA YADAV W/o BANSHILAL) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

| | |
|---|--|
| पुराना नाम (देवकन्या इन्द्र) पति—बंशीलाल यादव (DEVKANYA INDRA) W/o BANSHILAL YADAV | नया नाम (देवकन्या यादव) पति—बंशीलाल यादव (DEVKANYA YADAV) W/o BANSHILAL |
|---|--|

(G-1515)

नाम परिवर्तन

मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार मेरी माता का गलत नाम (KASTURI BHAWAR) (हिन्दी वर्णमाला अनुसार—कस्तुरी भवर) त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरी माता का सही, वास्तविक व प्रचलित नाम, उपनाम अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार—(KASTUR BHAWAR) (हिन्दी वर्णमाला अनुसार—कस्तुर भंवर) है जो मेरे कुछ शैक्षणिक रिकार्ड में और मेरी भाता के पेन कार्ड व आधार कार्ड में भी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत माता का सही, वास्तविक व प्रचलित नाम, उपनाम अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार (KASTUR BHAWAR) (हिन्दी वर्णमाला अनुसार—कस्तुर भवर) पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

| | |
|------------------------|----------|
| आवेदक (कस्तुर भंवर) | (G-1516) |
|------------------------|----------|

नाम परिवर्तन

मैं, जगराम (JAGRAM) पुत्र श्री बलदू प्रासद मेरा नाम जगराम (JAGRAM) है, जबकि गलती से मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मैं (JAGRAM) के स्थान पर (GAJRAM) लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम जगराम (JAGRAM) लिखा गया है, जो सत्य एवं सही है। अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम (GAJRAM) के स्थान पर (JAGRAM) लिखा एवं पढ़ा जावे।

| | |
|---|----------|
| आवेदक जगराम पुत्र श्री बलदू प्रासद पता—बस्ती गोदाम, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.). | (G-1517) |
|---|----------|

नाम परिवर्तन

मैं, अभय पुत्र श्री राधवेंद्र सिंह, निवासी—ग्राम पोस्ट मिरघान, मुरैना (म.प्र.). यह कि मेरे इण्डियन सी.डी.सी. में त्रुटिवश सिंह अभय राधवेन्द्र नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में अभय (ABHAY) पुत्र श्री राधवेंद्र सिंह नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अभय (ABHAY) पुत्र श्री राधवेंद्र सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(सिंह अभय राधवेन्द्र)

(अभय)

(ABHAY)

(G-1518)

पुत्र—श्री राधवेंद्र सिंह

नाम परिवर्तन

मैं, देवानंद जगदेव आत्मज श्री नकुल जगदेव, पता—ग्राम दातोरा, पोस्ट सावर्णी, तहसील प्रभात पट्टन, जिला बैतूल (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हेमराज आत्मज नकुल जगदेव (HEMRAJ S/o. NAKUL JAGDEV) लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम देवानंद जगदेव आत्मज नकुल जगदेव (DEVANAND JAGDEV S/o. NAKUL JAGDEV) है। मैं, सूचना प्रकाशित होने के बाद से मुझे देवानंद जगदेव आत्मज नकुल जगदेव (DEVANAND JAGDEV S/o. NAKUL JAGDEV) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(हेमराज)

(देवानंद जगदेव)

आत्मज—नकुल जगदेव

आत्मज—नकुल जगदेव

(G-1519)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष रानी साहू पत्नी श्री परशोत्तम साहू निवासी—मुख्ली मनोहर थार्ड, हटा, दमोह (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर शुटिवश नाम संतोष रानी साहू दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज एवं वोटर आई.डी. में मेरा नाम सीता साहू (SITA SAHU) है। प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम सीता साहू (SITA SAHU) पत्नी परशोत्तम साहू (PARSHOTTAM SAHU) नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(संतोष रानी साहू)

(सीता साहू)

(SITA SAHU)

पत्नी—श्री परशोत्तम साहू

(PARSHOTTAM SAHU)

(G-1520)

नाम परिवर्तन

मैं, जोगेन्द्र सिंह (JOGENDRA SINGH) पिता श्री सुरेश सिंह, मेरा पूर्व का नाम उदयवीर सिंह (UDAYVIR SINGH) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं जोगेन्द्र सिंह पिता श्री सुरेश सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, शासकीय, अद्वशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जोगेन्द्र सिंह एवं उदयवीर सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम उदयवीर सिंह के स्थान पर जोगेन्द्र सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(उदयवीर सिंह)

(जोगेन्द्र सिंह)

पिता—श्री सुरेश सिंह

पता—गुलीयापुरा बहेड़, गोरम, गोरमी, गिंड (म.प्र.).

(G-1521)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रवण सिंह ठाकुर (SHRAVAN SINGH THAKUR) पुत्र श्री कुमेर सिंह ठाकुर मेरे पुत्र का नाम राजेश ठाकुर (RAJESH THAKUR) था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को राजवीर सिंह ठाकुर (RAJVEER SINGH THAKUR) पुत्र श्री श्रवण सिंह ठाकुर के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। राजेश ठाकुर एवं राजवीर सिंह ठाकुर दोनों मेरे पुत्र के ही नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम राजेश ठाकुर के स्थान पर राजवीर सिंह ठाकुर लिखा एवं पढ़ा जावे।

आवेदक

(श्रवण सिंह ठाकुर)

पुत्र—श्री कुमेर सिंह ठाकुर
पता—ग्राम गौखेडी, भनवारीकलन, आस्ता,
सिहोर (म.प्र.)

(G-1522)

नाम परिवर्तन

मैं, सैफ खान (SAIF KHAN) पुत्र मोहम्मद रमजान, मेरा पूर्व का नाम सानु खान (SANU KHAN) था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सैफ खान पुत्र मोहम्मद रमजान के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों लिखा गया है। सैफ खान एवं सानु खान दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सानु खान के स्थान पर सैफ खान लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(सानु खान)

(सैफ खान)

पुत्र—मोहम्मद रमजान

(G-1523)

पता—हेदराबादी बस्ती, म्हो, महू, इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद यासीन हाशमी पिता अशफाक हुसैन (MOHAMMED YASIN HASHMI S/o ASHFAQ HUSEN) निवासी—मकान नंबर 53, स्कीम नंबर 08, बघाना नीमच, तहसील नीमच व जिला नीमच (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद यासीन हाशमी पिता अशफाक हुसैन (MOHAMMED YASIN HASHMI S/o ASHFAQ HUSEN) दर्ज है, अब मैंने मेरा नाम बदलकर यासीन हाशमी पिता अशफाक हुसैन (YASIN HASHMI S/o ASHFAQ HUSEN) रख लिया है, अब मुझे यासीन हाशमी पिता अशफाक हुसैन (YASIN HASHMI S/o ASHFAQ HUSEN) के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(मोहम्मद यासीन हाशमी)

(यासीन हाशमी)

पिता—अशफाक हुसैन

पिता—अशफाक हुसैन

(MOHAMMED YASIN HASHMI)

(YASIN HASHMI)

S/o ASHFAQ HUSEN

S/o ASHFAQ HUSEN

(G-1524)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीकिशन बघेल (SHRIKISHAN BAGHEL) पिता श्री अमरलाल बघेल, मेरा पूर्व का नाम अलोला बघेल (ALOLA BAGHEL) था। जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, श्रीकिशन बघेल पुत्र श्री अमरलाल बघेल के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे पैन कार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। श्रीकिशन बघेल एवं अलोला बघेल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अलोला बघेल के स्थान पर श्रीकिशन बघेल लिखा एवं पढ़ा जावे।

| | |
|----------------------------|---|
| पुराना नाम (अलोला बघेल) | नया नाम (श्रीकिशन बघेल) पिता—श्री अमरलाल बघेल पता—ग्राम जसलमनी, बमसोली, मुरैना, (म.प्र.) |
| (G-1525) | |

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नटराज फूड प्रोडक्ट यूनिट-2, जो माधव नगर रोड, ग्राम इमालिया, कटनी (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 04/15/03/0074/16 एवं दिनांक 23 जून 2016 है एवं इसमें दिनांक 01 अप्रैल 2023 को भागीदार श्री दीवानचंद ठारवानी पुत्र श्री शिवन दास ठारवानी, निवासी—आचार्य कृपलानी वार्ड के सामने डायमंड स्कूल कैराइन लाइन, माधव नगर, कटनी (म.प्र.) अपनी रखेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं।

| | |
|--|----------------------------------|
| मेसर्स श्री नटराज फूड प्रोडक्ट यूनिट-2 (G-1526) | लक्ष्मनदास ठारवानी (भागीदार). |
|--|----------------------------------|

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नटराज फूड प्रोडक्ट, जो माधव नगर रोड, ग्राम इमालिया, कटनी (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 04/15/03/0264/16 एवं दिनांक 23 फरवरी 2016 है, एवं इसमें दिनांक 01 अप्रैल 2023 को भागीदार श्री दीवानचंद ठारवानी पुत्र श्री शिवन दास ठारवानी, निवासी—आचार्य कृपलानी वार्ड के सामने डायमंड स्कूल कैराइन लाइन, माधव नगर, कटनी (म.प्र.) अपनी रखेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं।

| | |
|--|----------------------------------|
| मेसर्स श्री नटराज फूड प्रोडक्ट (G-1527) | लक्ष्मनदास ठारवानी (भागीदार). |
|--|----------------------------------|

CHANGE OF NAME

The general is informed that in the past my name was Trilok Chand Singh, and in the present my name is Tarlochan Singh Vasu. So I should be known and known by my new name Tarlochan Singh Vasu, My residence address is 13, Palsikar Colony, Indore (M.P.).

| | |
|---|--|
| Applicant (Tarlochan Singh Vasu) (G-1528) | |
|---|--|

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम पविका गुप्ता पिता मनीष गुप्ता (PAVIKA GUPTA S/o MANISH GUPTA) है, किन्तु त्रुटिवश उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में नाम प्रकृति गुप्ता (PRAKRITI GUPTA) हो गया है, जो कि गलत है। मेरी पुत्री का सही नाम पविका गुप्ता पिता मनीष गुप्ता (PAVIKA GUPTA S/o MANISH GUPTA) है। उसके समस्त दस्तावेज में यही नाम दर्ज है उसे इसी नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, समझा जाये।

प्रार्थी

(मनीष गुप्ता)

(G-1529)

पता—73 ए, सोमानी नगर, 60 फीट रोड,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नानकराम गुरेजा पिता भागता मल है, किन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नानकचंद गुरेजा (NANAKCHAND GUREJA) हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम नानकराम गुरेजा पिता भागता मल (NANAKRAM GUREJA S/o BHAGTA MAL) है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व पढ़ा जावे।

प्रार्थी

(नानकराम गुरेजा)

(G-1530)

पता—22-ए, कांती कृपालानी नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अहद खान पिता गुलरेज खान (AHAD KHAN S/o GULREJ KHAN) है परन्तु त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में, उसका नाम आर्यन खान एवं पिता के स्थान पर माता का नाम अर्शी खान (ARYAN KHAN S/o ARSHI KHAN) हो गया है, जो कि गलत है। उसका सही नाम अहद खान पिता गुलरेज खान (AHAD KHAN S/o GULREJ KHAN) है, उसे इसी नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा व समझा जावे।

प्रार्थी

(गुलरेज खान)

(G-1531)

पता—47, शालिनी रोड, बाटा शोरुम के पास,
देवास (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित कुशवाहा पिता नोने लाल कुशवाहा, निवासी-वार्ड क्र. 76, मौनेगांव रांझी, जबलपुर, जिला—जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऋषभ दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम रोहित कुशवाहा है। अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रोहित कुशवाहा के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(ऋषभ)

(G-1532)

नया नाम

(रोहित कुशवाहा)

पिता—नोने लाल कुशवाहा

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम 'नारायणी राजपूत (NARAYANI RAJPUT)' अंकित है, जबकि उसका वास्तविक नाम 'काव्या सिंह राजपूत (KAVYA SINGH RAJPUT)' है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी अंकित है।

अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके वास्तविक नाम "काव्या सिंह राजपूत (KAVYA SINGH RAJPUT)" से ही जाना एवं पहचाना जाये।

| | |
|--|--|
| पुराना नाम | नया नाम |
| नारायणी राजपूत (NARAYANI RAJPUT) | (काव्या सिंह राजपूत) (KAVYA SINGH RAJPUT) |
| (G-1533) | पिता— वीरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी—149, मानसरोवर नगर, देवगुराडिया, इंदौर (म.प्र.). |

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जगन्नाथ कन्सट्रक्शन कम्पनी, बी-47, 48 रामदयाल नगर, पिन्डो पार्क के पास, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक नंबर 02-42-01-00198-09 सन् 2008-09 दिनांक 26-03-2009 को पंजीकृत है। ने 26-02-2025 को अपनी साझेदारी फर्म में संसोधन कर श्री अजय शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी— ऐ-27, रामदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी— सी-34, भगत सिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में संसोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री प्राण सिंह राणा पुत्र श्री कल्याण सिंह राणा, निवासी— 57 डॉ. प्रकाश नारायण की कोठी, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार हैं।

मैसर्स जगन्नाथ कन्सट्रक्शन कम्पनी,
विश्वेश शर्मा
(पार्टनर).

(G-1534)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैक्षणिक अंकसूची में अनिषा शेख (ANISA SHEIKH) है, जबकि मेरे सही नाम व अंग्रेजी लिपि में स्पेलिंग अनिषा शेख (ANISHA SHEKH) है, मेरे पुत्र अनस शेख (ANAS SHAikh) के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम आयशा शेख (AAYSHA SHAikh) दर्ज है। उपरोक्तानुसार मेरे उक्त पुत्र के शैक्षणिक रिकार्ड के संबंधित समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम त्रुटिवश दर्ज आयशा शेख के स्थान में मेरा सही नाम अनिषा शेख (ANISHA SHEKH) के नाम को ही मान्य किया जावे।

| | |
|----------------|---|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (AAYSHA SHEKH) | (ANISA SHEKH W/O SHARAFAT SHEKH) |
| (G-1535) | पता— ऐ-3/176, आर्दश नगर, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.). |

नाम परिवर्तन

मैं, पंचम सिंह साहू आ. श्री कन्हैयालाल साहू मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम शिखा साहू (SHIKHA SAHU) दर्ज है, जो कि उसका घर का नाम है. जबकि मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में खुशी साहू दर्ज है जो सही व सत्य है. मेरी पुत्री का नाम शिखा साहू से परिवर्तित कर सही नाम खुशी साहू (KHUSHI SAHU) करना चाहता हूँ।

अतः प्रकाशन के उपरांत सभी शासकीय/अशासकीय, स्कूल व अन्य दस्तावेजों में उसे खुशी साहू के नाम से जाना—पहचाना जावे।

आवेदक

(पंचम सिंह साहू)

आ. श्री कन्हैयालाल साहू

निवासी—७९, समरधा कलियासोत, होशंगाबाद रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1536)

CHANGE OF NAME

This is to inform all, that before marriage my name is DOLLY SHARMA D/o Mr.ASHOK KUMAR SHARMA and after marriage solemnized my name is AVNI VASHISTHA W/o Mr.ANIMESH VASHISTHA. I should be known by new name AVNI VASHISTHA W/o Mr. ANIMESH VASHISTHA.

Old Name

New Name

(DOLLY SHARMA)

D/o Mr. ASHOK KUMAR SHARMA

(AVNI VASHISTHA)

W/o MR. ANIMESH VASHISTHA

Address: F-4, Happy Apartment, Vijay Nagar
Lalghati Bhopal (M.P.).

(G-1537)

CHANGE OF NAME

My Daughter previous name Myra Badgujar D/o Gopal Singh Badgujar has been changed to Myra Thakur D/o Gopal Singh Thakur Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Old Name

New Name

(MYRA BADGUJAR)

D/o GOPAL SINGH BADGUJAR

(MYRATHAKUR)

D/o GOPAL SINGH THAKUR

Address: Thakur Farm CAT Road,
Rajendra Nagar, Indore (M.P.).

(G-1538)

CHANGE OF NAME

I, Pradeep Bakliwal S/o Hiralal Bakliwal here by Declare That I have changed My Name as Pradeep Kumar Bakliwal S/o Hiralal Bakliwal so, from now and in future I will be known by my new name Pradeep Kumar Bakliwal S/o Hiralal Bakliwal.

Old Name

New Name

(Pradeep Bakliwal)

(Pradeep Kumar Bakliwal)

S/o Hiralal Bakliwal

Add: 4, Bima Nagar, Indore (M.P.).

(G-1539)

CHANGE OF NAME

I, Rashmi Badgujar W/o Gopal Singh Badgujar here by Declare That I have changed My Name as Rashmi Thakur W/o Gopal Singh Thakur so, from now and in future I will be known by my new name Rashmi Thakur W/o Gopal Singh Thakur.

| Old Name | New Name |
|---|------------------------|
| (Rashmi Badgujar) | (Rashmi Thakur) |
| W/o Gopal Singh Badgujar | W/o Gopal Singh Thakur |
| Add: Thakur Farm CAT Road, Rajendra Nagar, Indore (M.P.) | |

(G-1540)

CHANGE OF NAME

I, Gopal Singh Badgujar S/o Hari Singh Badgujar here by Declare That I have changed My Name as Gopal Singh Thakur S/o Hari Singh Badgujar so, from now and in future I will be known by my new name Gopal Singh Thakur S/o Hari Singh Badgujar.

| Old Name | New Name |
|-------------------------------|---|
| (Gopal Singh Badgujar) | (Gopal Singh Thakur) |
| S/o Hari Singh Badgujar | S/o Hari Singh Badgujar |
| | Add: Thakur Farm CAT Road, Rajendra Nagar, Indore (M.P.) |

(G-1541)

CHANGE OF NAME

I, Suresh Maheshwari S/o Dhannalal Maheshwari here by Declare That I have changed My Name as Suresh Maheshwari Tapadia S/o Dhannalal Maheshwari so, from now and in future I will be known by my new name Suresh Maheshwari Tapadia S/o Dhannalal Maheshwari.

| Old Name | New Name |
|----------------------------|--|
| (Suresh Maheshwari) | (Suresh Maheshwari Tapadia) |
| S/o Dhannalal Maheshwari | S/o Dhannalal Maheshwari |
| | Add: Rajmohalla Chouraha Dilasan Achar ke pass, 222, Jawahar Marg , Indore (M.P.) |

(G-1542)

CHANGE OF NAME

My Son Previous name Viraaj Badgujar S/o Gopal Singh Badgujar has been changed to Viraaj Thakur S/o Gopal Singh Thakur Therefore, in future my son will be known by the her new name only.

| Old Name | New Name |
|--------------------------|---|
| (Viraaj Badgujar) | (Viraaj Thakur) |
| S/o Gopal Singh Badgujar | S/o Gopal Singh Thakur |
| | Add: Thakur Farm CAT Road, Rajendra Nagar, Indore (M.P.) |

(G-1543)

नाम परिवर्तन

मैं, मसरूर खान आत्मज श्री मंसूर खान, निवासी— म.नं. 07, गल्ली नं. 02, तिजारन लेन, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम इस्माईल खान (ISMAIL KHAN) अंकित है जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आहमद खान (AAHMAD KHAN) जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम आहमद खान (AAHMAD KHAN) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक

(मसरूर खान)
आ. श्री मंसूर खान.

(G-1544)

नाम परिवर्तन

मैं, विकास पटेल तनय श्री गेंदलाल पटेल, निवासी— पटेल बसेरा सिन्धी कैम्प, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में निध्याना पटेल दर्ज है. जबकि जन्म प्रमाण—पत्र में श्रीशा पटेल (SHRISHA PATEL) दर्ज है. भविष्य में मेरी पुत्री का नाम श्रीशा पटेल (SHRISHA PATEL) सारे रिकार्ड में लिखा, पढ़ा व माना जाए.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (निध्याना पटेल) | (श्रीशा पटेल) |
| (NIDHYANA PATEL) | (SHRISHA PATEL) |
| पुत्री— विकास पटेल | पुत्री— विकास पटेल. |

(G-1545)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेश चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajesh Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) मेरे दस्तावेजों में अंकित मैंने अपना नाम परिवर्तित कर राजेन्द्र कुमार चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajendra Kumar Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) कर लिया है. दोनों नाम मेरे ही है, जिसके बाद अब मुझे मेरे परिवर्तित नाम राजेन्द्र कुमार चौहान पिता रतनलाल चौहान (Rajendra Kumar Chouhan S/o Ratanlal Chouhan) से ही जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे एवं समर्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी मेरे नाम को दर्ज कियां जावे.

| | |
|--------------------|---|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (राजेश चौहान) | (राजेन्द्र कुमार चौहान) |
| पिता— रतनलाल चौहान | पिता— रतनलाल चौहान |
| | निवासी— 366 कृष्ण बाग कॉलोनी, मालवी नगर के पीछे, इंदौर (म.प्र.). |

(G-1546)

CHANGE OF NAME

I MINAKSHI DIKSHIT W/O RAHUL PATHAK here by Declare That I have changed My name as MADHURI PATAHK W/o RAHUL PATHAK So, from now and in future I will be known by my new name MADHURI PATAHK W/O RAHUL PATHAK.

Old Name

(MINAKSHI DIKSHIT)
W/O RAHUL PATHAK

(G-1547)

New Name

(MADHURI PATAHK)
W/O RAHUL PATHAK
Add: 1, Panjriya, Fufund, Mhow,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, नजमुन निशा पत्नी श्री रहीम खान, निवासी— म.नं. 30, गर्म गडडा स्टेशन रोड एरिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नजमुन निशा पत्नी श्री रहीम खान दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम मकबूला बेगम है, जो कि मेरी अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मकबूला बेगम (Makbula Begam) पत्नी रहीस खान के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

| | |
|----------------------|-----------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (नजमुन निशा) | (मकबूला बेगम) |
| पत्नी— श्री रहीम खान | पत्नी— रहीस खान |
| (G-1548) | |

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय अभिलेख में मेरा नाम मोहम्मद साबिर आत्मज ख. श्री मोहम्मद हबीब खान, निवासी— म.नं. 93, गली नं. 01, दुर्गा मंदिर के सामने, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.). जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद साबिर खान आत्मज ख. श्री मोहम्मद हबीब खान है. अतः मुझे मोहम्मद साबिर खान आत्मज श्री मोहम्मद हबीब खान के नाम से जाना व पहचाना जावे. सभी अभिलेखों तदनुसार मैं पूरा नाम अंकित किया जावे.

| | |
|-----------------|---------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (मोहम्मद साबिर) | (मोहम्मद साबिर खान) |
| (G-1549) | |

आम सूचना

भागीदारी फर्म मेसर्स श्री साई डेवेलपर्स, खानका वार्ड, बुरहानपुर के भागीदार सुरेश पिता माधवराव पाटिल का दिनांक 27-4-2021 को निधन हो गया है. भागीदार सुरेश पिता माधवराव पाटिल की मृत्यु के पश्चात् कोई अन्य नया भागीदार फर्म में नहीं जोड़ा गया है. मेसर्स श्री साई डेवेलपर्स में, वर्तमान में श्री पवन कुमार बंका पिता बनवारीलाल बंका एवं श्री गोपाल पिता बनवारीलाल बंका भागीदार हैं.

| | |
|---|----------|
| मेसर्स श्री साई डेवेलपर्स, श्री गोपाल बंका (पार्टनर). | (G-1550) |
|---|----------|

नाम परिवर्तन

मैं, आनन्द कुमार कोलिया (ANAND KUMAR KOLIYA) आत्मज ख. जुगराज सिंह, निवासी— क्वार्टर नंबर 36, राजीव गांधी नगर, केन्ट कटंगा सदर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आनन्द कुमार कोलिया दर्ज है, मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक पासबुक में मेरा नाम आनन्द कुमार दर्ज है. मैं, अपने सेवा अभिलेख में अपना नाम आनन्द कुमार कोलिया के स्थान पर आनन्द कुमार (ANAND KUMAR) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे आनन्द कुमार के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

| | |
|----------------------|---------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (आनन्द कुमार कोलिया) | (आनन्द कुमार) |
| (ANAND KUMAR KOLIYA) | (ANAND KUMAR) |

(G-1551)

CHANGE OF NAME

I Vigha W/o Ramesh Chandra Nigam R/o 282, Ratan Avenue, MR-5 Road Near, Maharatneshwar Mandir, P.O. Ujjain , Madhya Pradesh. have changed to my name to Vidhya Nigam.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (VIGHA) | (VIDHYA NIGAM) |
| W/o Ramesh Chandra Nigam | |
| (G-1552) | |

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का का नाम शकुंतला थोरात पुत्री श्री रामराव थोरात है, जो मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जबकि मेरे विवाह के बाद मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम शकुंतला पांडोले पत्नी श्री अन्नाजी राव अंकित है. शकुंतला थोरात एवं शकुंतला पांडोले दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती शकुंतला पांडोले के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

| | |
|-------------------------|--|
| प्रार्थिनी | (शकुंतला पांडोले) |
| पत्नी— श्री अन्नाजी राव | निवासी— नया बाजार, गणेश कॉलोनी, गणेश मंदिर के पास, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.). |
| (G-1553) | |

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय था, अब परिवर्तन होकर नया नाम गवेन्द्र पाण्डेय (Gavendra Pandey) आरम्भ श्री चंद्रवली राम पाण्डेय, निवासी— फ्लैट-३०१, ब्लॉक-७, फ़ाइन इंडिपेंडेंस, कोलार रोड, भोपाल हो गया है. अब भविष्य में मुझे गवेन्द्र पाण्डेय (Gavendra Pandey) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (गवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय) | (गवेन्द्र पाण्डेय) |
| (G-1554) | |

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सुनीता संदीप सेठी था, अब परिवर्तन होकर नया नाम सुनीता सेठी (Sunita Sethi) पत्नी श्री संदीप सेठी, निवासी—२८, हिलब्यू कॉलोनी, बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.) हो गया है, अब भविष्य में मुझे सुनीता सेठी (Sunita Sethi) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (सुनीता संदीप सेठी) | (सुनीता सेठी) |
| (G-1555) | |

नाम परिवर्तन

मैं, कदीर अहमद (KADEER AHMAD) पिता श्री एच एन अकबर, निवासी— H/N – 633, डॉ जाकिर हुसैन वार्ड, नई बस्ती, गोहलपुर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे दस्तावेज में मेरा नाम कदीर अंसारी अंकित हैं। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में मोहम्मद कदीर पिता श्री एच एन अकबर के नाम से अंकित है, दोनों नाम कदीर अंसारी एवं मोहम्मद कदीर पिता श्री एच एन अकबर मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे कदीर अहमद (KADEER AHMAD) पिता श्री एच एन अकबर के नाम से जाना जाए।

प्रार्थी

(कदीर अहमद)

पिता— श्री एच एन अकबर,

(G-1556)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मनीष जाट, पता—महाजनी, वार्ड नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्र. 04-16-01-0096-20, दिनांक 19 अगस्त 2020 है, जिसमें श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन एवं अन्य 9 भागीदार थे। इसके पश्चात् दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को श्री दिनेश सेन ने अपनी भागीदारी छोड़ दी। इनके स्थान पर दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से श्रीमती इंदु नेमा पत्नी श्री प्रमोद कुमार नेमा, निवासी—महाजनी वार्ड, नरसिंहपुर को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है।

मेसर्स मनीष जाट,

(मनीष जाट)

पार्टनर.

(G-1557)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी मोहम्मद अदीब गनम पिता मोहम्मद शब्बीर गनम, पता— एफ—19 / सी, आनन्द कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम शैक्षणिक एवं कुछ दस्तावेजों में गनम मोहम्मद अदीब मोहम्मद शब्बीर (GANAM MOHD ADIB MOHD SHABBIR) तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड में मोहम्मद अदीब गनम पिता मोहम्मद शब्बीर गनम (MOHAMMAD ADIB GANAM S/o MOHAMMAD SHABBIR GANAM) अंकित है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही नाम हैं। भविष्य में प्रार्थी को मोहम्मद अदीब गनम पिता मोहम्मद शब्बीर गनम (MOHAMMAD ADIB GANAM S/o MOHAMMAD SHABBIR GANAM) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(मोहम्मद अदीब गनम)

पिता— मोहम्मद शब्बीर गनम.

(G-1558)

नाम परिवर्तन

मैं, गुड़ड़ीबाई पति पन्नालाल गुर्जर (पिता कमल गुर्जर), निवासी—18, ग्राम घेरपिली, (शिवगढ़) तहसील सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में गुड़ड़ीबाई पति कमल गुर्जर एवं आधार कार्ड में सीताबाई पति पन्नालाल गुर्जर अंकित है। दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में मुझे गुड़ड़ीबाई पति पन्नालाल गुर्जर के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थीनी

(गुड़ड़ीबाई)

पति— श्री पन्नालाल गुर्जर.

(G-1559)

नाम परिवर्तन

मैं, टीकमलाल शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा, पता— मकान न. 09, गणेश नगर, मार्निंग स्टार स्कूल के पास, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम कुछ शासकीय, अद्वशासकीय दस्तावेजों में माणकलाल पिता शंकरलाल अंकित है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी के ही नाम हैं. भविष्य में प्रार्थी को टीकमलाल शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा के नाम से जाना—पहचाना जावे.

प्रार्थी

(टीकमलाल शर्मा)

पिता— श्री शंकरलाल शर्मा.

(G-1560)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी गामा एहमद सिद्दीकी पिता रशीद एहमद सिद्दीकी, पता—4, विरियाखेड़ी रोड, गोविन्द नगर के पास, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गामा एहमद पिता रशीद एहमद दर्ज है. दोनों ही नाम प्रार्थी के होकर एक ही व्यक्ति के हैं. प्रार्थी का सही नाम गामा एहमद सिद्दीकी पिता रशीद एहमद सिद्दीकी (GAMA AHMAD SIDDIQUE S/o RASHID AHMAD SIDDIQUE) है. अतः प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(गामा एहमद सिद्दीकी)

पिता— रशीद एहमद सिद्दीकी.

(G-1561)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश SHRDHA JAISWAL दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के शैक्षणिक, जन्म प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम ANSHIKA JAISWAL दर्ज है, उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. प्रार्थी के आधार कार्ड में SHRDHA JAISWAL के स्थान पर सही नाम ANSHIKA JAISWAL दर्ज किया जावे एवं भविष्य में प्रार्थी को ANSHIKA JAISWAL के नाम से ही पढ़ा—लिखा, जाना—पहचाना जावे व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(SHRDHA JAISWAL)

(ANSHIKA JAISWAL)

अंशिका जायसवाल

पिता— श्री अर्पित जायसवाल

पता— कालका माता मंदिर के पास,
96, शहीद हेमू कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1562)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म M/S- Wolfs Terrain पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0287-23 दिनांक 25 सितम्बर 2023 पर पंजीकृत है, फर्म के पंजीयन के समय राज कुमार वानखड़े एवं राकेश खरे भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 04 मार्च 2025 को राकेश खरे भागीदार से स्वतः पृथक् हो गए। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 04 मार्च 2025 को एक नए भागीदार wolfs terrain (India) Private Limited तर्फे डायरेक्टर निकुंज अग्रवाल, पता— बी एच एच आई जी पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, इंदौर 452010 भागीदारी फर्म में आ रहे हैं।

फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है।

M/S- Wolfs Terrain
राज कुमार वानखड़े
(भागीदार).

Add- BH-11, Shivalay, Pandit Deendayal Upadhyay
District Indore (M.P.).

(G-1563)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my old name was Asha Pal (in my Aadhar card and Marksheets), But Now I, have changed it from Asha Pal to Rashi Chaturvedi. Henceforth my name shall be written as Rashi Chaturvedi for all purposes (including Aadhar card).

Old Name

(Asha Pal)

D/o Aparbal Pal

(G-1564)

New Name

(Rashi Chaturvedi)

D/o Aparbal Chaturvedi

Add: 662/8 Nanda Nagar,

Indore (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम व नाम की सही स्पेलिंग बंशी लाल पवार (Banshi Lal Pawar) है, किन्तु मेरे आधार कार्ड सहित मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम बंशील लाल पवार (Banshil Lal Pawar) लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है व मेरे नाम की गलत स्पेलिंग है। अतः आधार कार्ड सहित मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम व मेरे नाम की सही स्पेलिंग बंशी लाल पवार (Banshi Lal Pawar) ही लिखी व पढ़ी जाए।

पुराना नाम

(बंशील लाल पवार)

(Banshil Lal Pawar)

(G-1565)

नया नाम

(बंशी लाल पवार)

(Banshi Lal Pawar)

पता— म.नं. 414, ग्राम—भीलबड़ोली।

गौतमपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर लिखा हुआ है। कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर सिंह राजपूत लिखा हुआ है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर सिंह लिखा हुआ है, मेरा सही नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर सिंह है। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर सिंह करवाना चाहता हूँ। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश राजपूत पिता बहादुर सिंह ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

Yogesh Rajput (योगेश राजपूत)

पिता Bahadur (बहादुर) /

Bahadur Singh Rajput

(बहादुर सिंह राजपूत)

(G-1566)

नया नाम

Yogesh Rajput (योगेश राजपूत)

पिता Bahadur Singh (बहादुर सिंह)

निवासी— 47, र्लाईस-3, सेक्टर-डी, स्कीम नंबर 78

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे स्थायी निवास प्रमाण—पत्र व शासकीय अन्य कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मुन्नी बाई पति सुखराम कुशवाह लिखा हुआ है एवं मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता या अनीता कुशवाह पति सुखराम कुशवाह लिखा हुआ है। यह दोनों नाम मेरे ही हैं, अब मैं अपने सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में अपना एक ही नाम मुन्नी बाई पति सुखराम कुशवाह करवाना चाहती हूँ। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता या अनीता कुशवाह लिखा हुआ हो उन सभी दस्तावेजों में मेरा एक ही नाम मुन्नी बाई ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(अनीता / अनीता कुशवाह)

(G-1567)

नया नाम
(मुन्नी बाई)
पति सुखराम कुशवाह
निवासी— 76 गायत्री नगर, पालदा, इंदौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम द्रोपती बाई पति फूल सिंह है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में भूल या त्रुटिवश मेरा नाम मुन्नी बाई लिखा गया है। अतः मेरे आधार कार्ड सहित सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम द्रोपती बाई लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(मुन्नी बाई)

(G-1568)

नया नाम
(द्रोपती बाई)
पति फूल सिंह
निवासी— ग्राम— झिलेला, तहसील आष्टा,
जिला सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी PAWAN KUMAR DUBEY के पुत्र का सही नाम VARDAN DUBEY है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम VED DUBEY दर्ज हो गया है। VED DUBEY और VARDAN DUBEY मेरे एक ही पुत्र का नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के उक्त आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में उसका नाम VED DUBEY के स्थान पर VARDAN DUBEY के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व दर्ज किया जावे।

आवेदक
(PAWAN KUMAR DUBEY)
Add- R/o Line No.10, H.No.5,
Birla Nagar, Gwalior (M.P.)

(G-1569)

नाम / उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय परिहार पुत्र श्री कन्हैया लाल परिहार, निवासी— म.नं.—51, दुर्गा माता मंदिर के पास, बागसेवनिया, बाग मुगालिया, भोपाल (म.प्र.) मेरे जाति प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम संजय अहिरवार (SANJAY AHIRWAR) पुत्र श्री कन्हैया लाल अहिरवार (KANHAIYA LAL AHIRWAR) अंकित हो गया है तथा मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम संजय परिहार (SANJAY PARIHAR) पुत्र श्री कन्हैया लाल परिहार (KANHAIYA LAL PARIHAR) माता का नाम श्रीमती गीता परिहार (GEETA PARIHAR) सही नाम दर्ज है, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
(संजय परिहार)

(G-1570)

नाम परिवर्तन

अब्दुल हसीब बेग (ABDUL HASEEB BAIG), निवासी— ग्राम मोयिखेड़ी, पोस्ट गुलाना, तह. गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) शैक्षणिक एवं डिजीटल जन्म प्रमाण—पत्र और सभी दस्तावेज में मेरा नाम अब्दुल हसीब बेग (ABDUL HASEEB BAIG) है। जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम सोनू बेग (SONU BEG) है, जो कि गलत है। यह कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

अतः प्रकाशन के बाद सभी शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में (ABDUL HASEEB BAIG) मान्य किया जाए और जाना जाये।

| | |
|---|--|
| पुराना नाम (सोनू बेग) (SONU BEG) (G-1571) | नया नाम (अब्दुल हसीब बेग) (ABDUL HASEEB BAIG) |
|---|--|

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विलासिनी कोल्लान वीद (VILASINI KOLLAN VEED) पत्नी श्री सुरेन्द्रन के नाम से संबोधित किया जाता है, भूलवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विलासिनी लिखा गया। जबकि आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक आदि में मेरा नाम विलासिनी के, वी. (VILASINI K.V.) लिखा हुआ है। मुझे विलासिनी कोल्लान वीद (VILASINI KOLLAN VEED) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जाये।

| | |
|---|--|
| पुराना नाम (विलासिनी) (VILASINI) (G-1572) | नया नाम (विलासिनी कोल्लान वीद) (VILASINI KOLLAN VEED) पता— LIG- 52, New Subhash Nagar, Bhopal (M.P.) |
|---|--|

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय मालवीय मेरे पुत्र का नाम सभी दस्तावेजों में आराध्य मालवीय (ARADHY MALVIYA) पिता संजय मालवीय (SANJAY MALVIYA) दर्ज है, जिसे बदलकर मेरे पुत्र का नाम अर्चित मालवीय (ARCHIT MALVIYA) पिता संजय मालवीय (SANJAY MALVIYA) कर लिया है, जिसके बाद मेरे पुत्र को अपने परिवर्तित नाम अर्चित मालवीय (ARCHIT MALVIYA) पिता संजय मालवीय (SANJAY MALVIYA) से ही जाना व पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

| | |
|--|--|
| पुराना नाम (आराध्य मालवीय) (ARADHY MALVIYA) (G-1573) | नया नाम (अर्चित मालवीय) (ARCHIT MALVIYA) पिता— संजय मालवीय पता— LIG- 01, वार्ड नंबर—12, बिहाइंड साई बाबा मंदिर, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). |
|--|--|

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेन्द्र मालवीय पुत्र श्री के. एल. मालवीय, निवासी—एच.आई.जी. 11, बी—सेक्टर सोनागिरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम लोकेन्द्र मालवीय पुत्र श्री के.एल. मालवीय दर्ज है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्याम मालवीय पुत्र श्री डी.एल. मालवीय दर्ज हो गया है, जो गलत है, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे लोकेन्द्र मालवीय पुत्र श्री के.एल. मालवीय पढ़ा एवं लिखा जावे।

| | |
|---|--|
| पुराना नाम (श्याम मालवीय) पुत्र— श्री डी.एल. मालवीय (G-1574) | नया नाम (लोकेन्द्र मालवीय) पुत्र— श्री के.एल. मालवीय |
|---|--|

नाम परिवर्तन

मैं, बंटी पटेल पत्नी श्री आधार पटेल, निवासी—639, नवीन छावनी पठार, ग्राम आदमपुर छावनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सलोनी कुशवाहा पत्नी श्री रामाधार दर्ज है तथा मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बंटी पटेल पत्नी श्री आधार पटेल दर्ज है। अब जहां कहीं भी मेरा नाम—सलोनी कुशवाहा पत्नी श्री रामाधार है उसके स्थान पर मेरा नाम बंटी पटेल पत्नी श्री आधार पटेल पढ़ा एवं लिखा जावे।

| | |
|---------------------|------------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (सलोनी कुशवाहा) | (बंटी पटेल) |
| पत्नी— श्री रामाधार | पत्नी— श्री आधार पटेल. |

(G-1575)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक गौड़ आत्मज श्री जी.सी. शर्मा, निवासी— म.नं. 74, आकाश नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ।

मेरे पुत्र का वास्तविक नाम काव्यांश गौड़ (KAVYANSH GAUR) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम कान्हा हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम काव्यांश गौड़ (KAVYANSH GAUR) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा।

(G-1576)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम “रतिराम पिता झनकु उईके” था। उक्त मेरा नाम परिवर्तित होकर “भागरथी पिता झनकु उईके” हो गया है। अतः भविष्य में मेरा नाम समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय राजस्व अभिलेखों में भागरथी पिता झनकु उईके के नाम से जाना—पहचाना जावे।

(G-1577)

नाम परिवर्तन

मेरे दस्तावेजों जैसे, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सादिक मोहम्मद पिता न्याज मोहम्मद दर्ज है। मेरे मूलनिवासी प्रमाण—पत्र एवं राजस्व संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम बब्बु खां पिता न्याज मोहम्मद दर्ज है।

अतः प्रकाशन उपरात मुझे बब्बु खां पिता न्याज मोहम्मद खां के नाम से जाना एवं पहचाना जाए, इसी नाम का उल्लेख मेरे समस्त दस्तावेजों में किया जाए।

| | |
|---------------------|-------------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (सादिक मोहम्मद) | (बब्बु खां) |
| पिता— न्याज मोहम्मद | पिता— न्याज मोहम्मद खां |

(G-1578)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती उषा पति राजु हिंगोरानी, निवासी— 25 धिरज शाह नगर, गली नम्बर— 1, रतलाम (म.प्र.) मेरा घर का नाम रानी था। मेरे द्वारा धिरज शाह नगर, रतलाम में राजस्व अभिलेखों में श्रीमती रानी पति राजु हिंगोरानी लिखा था, जबकि मेरा नाम श्रीमती उषा है। मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्ड में उषा ही दर्ज है। मैं, श्रीमती रानी हिंगोरानी तथा श्रीमती उषा हिंगोरानी एक ही महिला हूँ मेरे राजस्व अभिलेख या बच्चों के शैक्षणिक या जहां कहीं पर श्रीमती रानी अंकित हो वहां श्रीमती उषा हिंगोरानी ही माना जावे व पढ़ा जावे व अंकित किया जावे। भविष्य में केवल श्रीमती उषा हिंगोरानी पति राजु हिंगोरानी के नाम से जानी व पहचानी जाऊगी।

पुराना नाम

(श्रीमती रानी)

नया नाम

(श्रीमती उषा)
पति—राजु हिंगोरानी।

(G-1579)

नाम परिवर्तन

मैं, अमर सिंह चौहान पुत्र मजबूत सिंह चौहान, निवासी— म.नं. 45बी, न्यू शीतल नगर, इन्दौर (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार कार्ड में ब्रुटिवश युवराज सिंह चौहान नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में आदित्या सिंह चौहान (ADITYA SINGH CHOUHAN) पुत्र अमर सिंह चौहान, नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में आदित्या सिंह चौहान (ADITYA SINGH CHOUHAN) पुत्र अमर सिंह चौहान के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(अमर सिंह चौहान)
पुत्र—मजबूत सिंह चौहान।

(G-1580)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार पुत्र नेताराम, निवासी— ग्राम ढिमरौली, पोस्ट लचायरा, जिला सागर (म.प्र.), मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर ब्रुटिवश दौलत सेन (DOULAT SEN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में हरिओम सेन (HARIOM SEN) पुत्र राजकुमार नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में हरिओम सेन (HARIOM SEN) पुत्र राजकुमार, के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राजकुमार)।

(G-1581)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, “मेसर्स इन्ड्रजीत एल्युसोल” पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00057-11 सन् 2011-12 दिनांक 4-5-2011 पंजीकृत फर्म है। जिसका पता— आर-20-ए, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 1 अप्रैल 2025 के अनुसार इस भागीदारी फर्म में गीतांश पबरा पिता श्री गीत कुमार पबरा तथा शौर्य पबरा पिता श्री गीत कुमार पबरा, निवासी—ई-1/159, अरेरा कालोनी, भोपाल आपसी सहमति से दोनों भागीदारों को इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है।

“मेसर्स इन्ड्रजीत एल्युसोल”

(गीत कुमार पबरा)
भागीदार।

पता— आर-20-ए, जोन-2, एम.पी. नगर,
भोपाल (म.प्र.)।

(G-1582)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बालाजी पाइप इंडस्ट्रीज जो डी-27, हरिशंकर पुरम, ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0229-20 एवं दिनांक 09 दिसम्बर 2020 है इसमें दिनांक 01 मार्च 2025 को भागीदार श्री आनंद शर्मा पुत्र श्री कृष्णकुमार शर्मा, निवासी— ग्राम मिहोनी सिमरो, भिंड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 01 मार्च 2025 को श्री अनुज गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी— वार्ड नं 18, वानखेडेश्वर मंदिर के पास पोस्ट भिंड फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं।

मेसर्स बालाजी पाइप इंडस्ट्रीज

शिवम गुप्ता

(भागीदार).

पता—डी-27, हरिशंकर पुरम, ग्वालियर.

(G-1583)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S CULINARY HOSPITALITY जो 1, विजयलक्ष्मी, फस्ट फ्लोर, गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0207-18, दिनांक 30 नवम्बर 2018 है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को भागीदार श्रीमती अंकुर माखिजा पुत्री श्री कृष्ण तुली, निवासी डी-36, अलकापुरी गार्डन होम्स, फेस-3, ग्वालियर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रही हैं एवं इसी दिनांक 31 मार्च 2025 को श्री अनुल कुमार पाठक पुत्र श्री कृष्ण बिहारी लाल पाठक, निवासी— 1, विजय लक्ष्मी, गाँधी रोड, ग्वालियर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/S CULINARY HOSPITALITY

दीप्ती पाठक

(भागीदार).

पता— 1, विजयलक्ष्मी, फस्ट फ्लोर, गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1584)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाशी बाई, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कैलाश बाई (KAILASH BAI) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा वास्तविक और सही नाम कैलाशी बाई (KAILASHI BAI) है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कैलाशी बाई (KAILASHI BAI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम

नया नाम

(कैलाश बाई)

(कैलाशी बाई)

(KAILASH BAI)

(KAILASHI BAI)

पति—टेक सिंह

(G-1585)

निवासी— मकान नं.—59, बरेला मर्खानी, रायसेन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रजनी मीना, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दुर्गाबती मीणा (DURGABATI MEENA) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा वास्तविक और सही नाम रजनी मीना (RAJNI MEENA) है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम रजनी मीना (RAJNI MEENA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम

नया नाम

(दुर्गाबती मीणा)

(रजनी मीना)

(DURGABATI MEENA)

(RAJNI MEENA)

पति—श्री मेहताब सिंह मीना,

(G-1586)

निवासी— ग्राम जीरापुर, पोस्ट सलपदा हाल, तहसील सलपदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S KHALSA & CO. फर्म जो 308, SATGURU PARINAY A.B. ROAD, INDORE (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 03-27-01-0304-24, दिनांक 06 नवम्बर 2024 है। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल 2025 को भागीदार मेसर्स मालवा रियलटी प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री जेविन्दर सिंह भाटिया पुत्र श्री गोकुल सिंह भाटिया, निवासी-306, स्कीम नं. 74-सी, विनय नगर, इंदौर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये।

M/S KHALSA & CO.

मनजीत सिंह भाटिया
(भागीदार)।

Add- 308, SATGURU PARINAY A.B. ROAD,
INDORE,(M.P.).

(G-1587)

नाम परिवर्तन

मैं, शोभान राव कदम (SHOBHAN RAO KADAM) पुत्र श्री वामन राव कदम, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम एस.आर. कदम (S. R. KADAM) है, जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संक्षिप्त में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, शोभान राव कदम पुत्र श्री वामन राव कदम के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है शोभान राव कदम एवं एस.आर. कदम दोनों मेरे ही नाम हैं, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे एस.आर.कदम के स्थान पर शोभान राव कदम लिखा एवं पढ़ा जावे।

सूचनाकर्ता

(शोभान राव कदम)

पुत्र-श्री वामन राव कदम,
पता- जटार गली, आदित्य अपार्टमेंट,
लक्ष्मीगंज, लक्ष्मकर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1588)

नाम परिवर्तन

मैं रूपा गोस्वामी (RUPA GOSWAMI) पत्नी स्व. श्री विनोद गोस्वामी, मेरा पूर्व का नाम सतरूपा गोस्वामी (SATROOPA GOSWAMI) था, जो मेरे पाति रव. श्री विनोद गोस्वामी की पौत्रियी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रूपा गोस्वामी पत्नी स्व. श्री विनोद गोस्वामी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ। जो मेरे शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, रूपा गोस्वामी एवं सतरूपा गोस्वामी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सतरूपा गोस्वामी के स्थान पर रूपा गोस्वामी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(सतरूपा गोस्वामी)

(रूपा गोस्वामी)

पता- हनुमान गंज डाढ़ा,
डबरा, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1589)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश सिसोदिया, मेरे पुत्र का नाम पीयूष सिसोदिया (Piyush Sisodiya) है जो उसके दस्तावेजों में अंकित है। परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में उसका घर का बोलता नाम यश सिसोदिया (Yash Sisodiya) अंकित हो गया है। अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को समर्त शासकीय/अर्ध-शासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में पीयूष सिसोदिया के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

प्रार्थी

(मुकेश सिसोदिया)

पता- वार्ड क्र 2, VTC बोडा, PO बोडा,
नरसिंहगढ़, जिला रायगढ़ (म.प्र.)

(G-1590)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप सिंह आत्मज श्री खुमान सिंह, निवासी— ग्राम झिर्निया कांकड़ बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) मेरा पुत्र है जिसका सही नाम सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) है, उसका यही सही नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है; जबकि त्रुटिवश मेरे पुत्र सुमित गुर्जर के आधार कार्ड में उसका गलत नाम पूनम (POONAM) लिखा है जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) पुत्र श्री दिलीप सिंह है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) पुत्र श्री दिलीप सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा, लिखा जावे।

प्रार्थी

(दिलीप सिंह)

(G-1591)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार द्विवेदी पुत्र इन्द्रजीत द्विवेदी, निवासी— म.नं. 91, तहसील जवा, ग्राम पोस्ट जोन्हा, जिला रीवा (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश दिनेश कुमार द्विवेदी (DINESH KUMAR DIWEDI) नाम दर्ज हो गया है, जिसमें द्विवेदी की स्पेलिंग गलत है जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दिनेश कुमार द्विवेदी (DINESH KUMAR DWIVEDI) पुत्र इन्द्रजीत द्विवेदी (INDRAJEET DWIVEDI) नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में दिनेश कुमार द्विवेदी (DINESH KUMAR DWIVEDI) पुत्र इन्द्रजीत द्विवेदी (INDRAJEET DWIVEDI), के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(दिनेश कुमार द्विवेदी)

(दिनेश कुमार द्विवेदी)

(DINESH KUMAR DIWEDI)

(DINESH KUMAR DWIVEDI)

पुत्र— इन्द्रजीत द्विवेदी

(INDRAJEET DWIVEDI).

(G-1592)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त कुमार सूर्यवंशी (HEMANT KUMAR SURYAWANSI) पुत्र श्री छोटेलाल निवासी— 202, न्यू आवासीय परिसर, भदमदा रोड, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम हेमन्त कुमार अहिरवार (HEMANT KUMAR AHIRWAR) दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम हेमन्त कुमार अहिरवार (HEMANT KUMAR AHIRWAR) दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम हेमन्त कुमार सूर्यवंशी (HEMANT KUMAR SURYAWANSI) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(हेमन्त कुमार अहिरवार)

(हेमन्त कुमार सूर्यवंशी)

(HEMANT KUMAR AHIRWAR)

(HEMANT KUMAR SURYAWANSI).

(G-1593)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियांश हजारी पिता श्री रामप्रसाद हजारी, निवासी— म.नं. 1401, साई छाया, जयनगर, यादव कॉलोनी, वार्ड नं. 19, कमला नेहरू वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.) है।

मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम आर.पी. हजारी दर्ज है व मेरे आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम राम प्रसाद हजारी दर्ज है उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता जी के ही हैं।

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे प्रियांश हजारी पिता राम प्रसाद हजारी पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(प्रियांश हजारी)

पिता— स्व. श्री रामप्रसाद हजारी.

(G-1594)

उपनाम परिवर्तन

मैं, यासमीन कुरैशी पत्नी श्री मेहमुद इलियास कुरैशी, निवासी—हिलाल मंजिल इब्राहिमपुरा, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में मुझे यासमीन मेहमुद पत्नी श्री मेहमुद इलियास कुरैशी के नाम से जानी—पहचानी जाती थी तथा वर्तमान में मैं, यासमीन कुरैशी पत्नी श्री मेहमुद इलियास कुरैशी के नाम से जानी—पहचानी जाती हूं मेरा परिवर्तित नाम यासमीन कुरैशी पत्नी श्री मेहमुद इलियास कुरैशी पढ़ा—लिखा एवं मान्य किया जावे।

| | |
|-----------------|--|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (यासमीन मेहमुद) | (यासमीन कुरैशी) पत्नी— श्री मेहमुद इलियास कुरैशी. |
| (G-1595) | |

नाम परिवर्तन

मैं, जानकी बाई पत्नी श्री रामभरोसे निवासी—ग्राम चपला सिर नान्दौर, जिला रायसेन (म.प्र.). पूर्व में मेरी पुत्री पलक पुत्री श्री रामभरोसे के नाम से जानी—पहचानी जाती थी तथा वर्तमान में, मेरी पुत्री महक पुत्री रामभरोसे के नाम से जानी—पहचानी जाती है। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को महक पुत्री रामभरोसे पढ़ा, लिखा एवं मान्य किया जावे।

| | |
|-----------------|-----------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (पलक) | (महक) |
| (G-1596) | पुत्री— श्री रामभरोसे |

नाम परिवर्तन

मैं, मेहमुद इलियास आ. श्री हारून इलियास, निवासी— हिलाल मंजिल इब्राहिमपुरा, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में मुझे मेहमुद अरब आ. श्री हारून इलियास के नाम से जाना—पहचाना जाता था तथा वर्तमान में, मैं मेहमुद इलियास आ. श्री हारून इलियास के नाम से जाना—पहचाना जाता हूं मेरा परिवर्तित नाम मेहमुद इलियास आ. श्री हारून इलियास पढ़ा, लिखा एवं मान्य किया जावे।

| | |
|-----------------|----------------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (मेहमुद अरब) | (मेहमुद इलियास) |
| (G-1597) | आ. श्री हारून इलियास |

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बाम्बे मसाला उद्योग, 448 ग्राम नेमावर तहसील खातेगांव जिला देवास जिसका पंजीयन नंबर 07—38—05—0166—25 दिनांक 4 फरवरी 2025 है। इस फर्म में सैयद इखलाक अली एवं कृष्णगोपाल अग्रवाल भागीदार थे। दिनांक 13 फरवरी 2025 को श्रीमती साइन अली पिता श्री शेख मुश्ताक को एक नया भागीदार बनाया गया एवं एक पुराने भागीदार श्री कृष्णगोपाल अग्रवालप्ता पिता श्री सतनारायण अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए। दिनांक 13 फरवरी 2025 से फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे।

फर्म— बाम्बे मसाला उद्योग

1. सैयद इखलाक अली पिता— श्री निजाम अली
2. श्रीमती साइन अली पिता— श्री शेख मुश्ताक (भागीदार)।

(G-1598)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र. 1300—बी 113--2024--2025.— जैसा कि “आवेदक Ram -Raj Baba Neem Karoli Charitable Trust द्वारा अध्यक्ष श्री ब्रजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री राम स्वरूप श्रीवास्तव, पता—म.नं. 1, दूरसंचार कॉलोनी, सिवाय काम्पलेक्स, गुलमोहर, हुजूर, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 25 अप्रैल 2025 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।—

अनुसूची

| | | |
|---------------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम व पता | — | Ram -Raj Baba Neem Karoli Charitable Trust म.नं. 1, दूरसंचार कॉलोनी, सिवाय काम्पलेक्स, गुलमोहर, हुजूर, भोपाल (भ.प्र.) |
| चल सम्पत्ति | — | 50,000/- रुपये |
| अचल सम्पत्ति | — | ग्राम नरेला हजुरात शेंह मेरे एक एकड़ में से 20,000 वर्गफिट भूमि अनुगामित मूल्य रुपये 61,13,000/- है। |

आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की भोहर से जारी किया गया।

(G-1599)

राधिशंकर शाय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवरी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

देवरी, दिनांक 18 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 5(1) व 5(2)]

क्र. री. 2-2025 प्र.क्र. 07-बी-113--2023--24.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रामेश जारोलिया पिता श्री रमेश जारोलिया, निवासी—महाकाली वार्ड, देवरी की ओर से श्री नर्मदेश्वर महादेव (शिव) मंदिर, सुखबैग सरिला नदी किनारे, गांधी वार्ड, देवरीकलां, जिला सागर, मध्यप्रदेश के पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। उक्त ट्रस्ट की चल—अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 20 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल—अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत नियत दिनांक 20 अप्रैल 2025 तक स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने अथवा नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 1 | लोक न्यास का पूरा नाम पता | श्री नर्मदेश्वर महादेव (शिव) मंदिर, सुखचैन सरिता नदी किनारे, गांधी वार्ड, देवरीकलां, जिला सागर. |
| 2 | लोक न्यास का उद्गम व प्रकृति | उक्त शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है और उक्त शिवमंदिर पर कई वर्षों से आम—जन दर्शन लाभ लेकर पूजा—अर्चना कर रहे हैं। उक्त ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य हिन्दू धर्म अनुसार पूजा—प्रार्थना तथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा समय—समय पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर धर्म प्रभावना का है। |
| 3 | स्थान जहां न्यास का मुख्य कार्यालय | श्री नर्मदेश्वर महादेव (शिव) मंदिर, सुखचैन सरिता नदी किनारे, गांधी वार्ड, देवरीकलां, जिला सागर. |
| 4 | कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधक के नाम व पता | विधान अनुसार 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव, व 11 सदस्य |
| 5 | न्यासी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति | न्यासी या सदस्यों की मृत्यु अथवा पद से त्यागपत्र देने अथवा न्यासियों का कृत्य ट्रस्ट उद्देश्यों के विपरीत पाए जाने की स्थिति में पदच्युत कर रिक्त पद होने पर शेष न्यासियों की सहमति / प्रस्ताव प्रक्रिया द्वारा नवीन न्यासी का नियुक्ति की जावेगी। |
| 6 | न्यास सृजित करने वाले दस्तावेज | — |
| 7 | न्यास के संबंध में कोई योजना हो तो | 1— न्यास का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू धर्म आन्नाओं के अनुसार मंदिर में स्थापित शिव भगवान की पूजा—अर्चना व भोग प्रसादी की व्यवस्था। 2— हिन्दू धार्मिक त्यौहारों पर धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से धार्मिक प्रभावना का प्रचार—प्रसार। 3— धार्मिक प्रभावना के अंतर्गत वे सभी कार्य जो न्यासीगण समय—समय पर आयोजित करने के लिए सहमत होंगे। |
| 8 | (1) चल संपत्ति | एक घंटा पीतल का वजनी एक किलोग्राम, एक झालर पीतल की डेढ़ किलो वजनी, एक गरुण घंटी पीतल की 250 ग्राम, एक शंख, दो मजीरा पीतल के आधा किलोग्राम, एक त्रिसूल लोहे का करीब 2 किलोग्राम, एक गुंड पीतल की 2 किलोग्राम, एक कसेढ़ी पीतल की एक किलोग्राम, एक अभिषेकदानी पीतल की 200 ग्राम, नगदी 2100/- अंकन दो हजार एक सौ रुपये, एक शृंगी पीतल की, एक नाग (तांबे के) एक किलोग्राम, दो फर्स, एक गोंती, एक फावड़ा, एक टेबिल, एक टेबिल, एक कुर्सी, एक आरती, दीपक हेतु पीतल की 200 ग्राम, एक लोहे की पुरानी पेटी, पांच धार्मिक पुस्तके। |
| | (2) अचल संपत्ति | — |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| 9 | न्यास की आय का स्त्रोत | दान—दाताओं द्वारा दी गयी दान की राशि |
| 10 | औसत वार्षिक आय पुजारी का वेतन भोग—प्रसादी पर व्यय धार्मिक आयोजन पर व्यय विविध मद | तकरीबन 1 लाख 36000 /— वार्षिक 36000 /— वार्षिक 21000 /— वार्षिक 7000 /— वार्षिक |
| 1. | न्यासी एवं प्रबंधक को सूचना का पता | श्री नर्मदेश्वर महादेव (शिव) मंदिर, सुखदैन सरिता नदी किनारे, गांधी वार्ड, देवरीकलां, जिला सागर. |

(G-1600)

भव्या त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड—बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 14 मार्च 2025

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र.क्र. 986—बी 113—2023—24.— एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष श्री छोटी रेणुका माता मंदिर, वेलफेयर ट्रस्ट, खुरमपुरा, ग्राम हमीदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री हुकुचंद पटेल पिता शकरचंद पटेल, निवासी— मकान नंबर 365, वार्ड नंबर 04, सिलमपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन—पत्र पेश कर श्री छोटी रेणुका माता मंदिर, वेलफेयर ट्रस्ट का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा—4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन—पत्र दिनांक 14 मार्च 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ती या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

| | | |
|------------------------|----|---|
| लोक न्यास का नाम व पता | -- | श्री छोटी रेणुका माता मंदिर, वेलफेयर ट्रस्ट, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अध्यक्ष श्री हुकुचंद पटेल पिता शकरचंद पटेल, निवासी— मकान नंबर 365, वार्ड नंबर 04, सिलमपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.). |
| चल सम्पत्ति | -- | निरंक |
| अचल सम्पत्ति | -- | निरंक |

(G-1601)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जुन्नारदेव, मध्यप्रदेश

जुन्नारदेव, दिनांक 24 मार्च 2025

प्रारूप—चार

[नियम 5(1) देखिये]

मौजा— उमरिया फदाली, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)] द्वारा.

रा.प्र.क्र. 0001—बी 113(1)—2024—25.— चूंकि, हनुमान मंदिर सेवादास समिति उमरिया फदाली, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष, चैतराम पवार पिता श्री टीकाराम पवार, कोर्षाध्यक्ष, किसनू नामदेव पिता श्री तोडेलाल नामदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल—अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन—पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन—पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपरिथत रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

| क्र (1) | नाम वस्तु (2) | विवरण (3) | वजन तथा नग (4) |
|------------|------------------|--|--|
| 1. | चल सम्पत्ति | घंटा साउंड सिरटम तिजोरी दान पेटी पेटी सिलिंग फेन भगदान का छत्र और आभूषण नगद राशि | 5 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 25000/- |
| 2. | अचल सम्पत्ति | मंदिर एवं भवन मंदिर की रिक्त भूमि | खसरा नंबर 7/5/2, 7/4/2, रक्का— 0.092, 0.028 खसरा नंबर—10, रक्का— 0.243 |

कामिनी ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1602)

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश

पांडुर्णा, दिनांक 25 फरवरी 2025

प्रारूप चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र. 0005—बी 113(1)—2024—2025.— यह कि श्री वीरशैव (लिंगायत) वाणी समाज सौंसर, तहसील सौंसर, जिला पांडुर्णा के महासंचिव श्री पुनित पोस्ते, निवासी— वार्ड नं. 7, सौंसर, तहसील सौंसर, जिला पांडुर्णा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28 मार्च 2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। मैं, लोक न्यास पंजीयक पांडुर्णा, जिला पांडुर्णा अपने न्यायालय में दिनांक 28 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से "एक माह" अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता —

श्री वीरशैव (लिंगायत) वाणी समाज (मठ) संस्थान, श्री वीरशैव, (लिंगायत) वाणी समाज (मठ) संस्थान भवन, वार्ड नं. 7 विट्ठल मंदिर के पास सौंसर, तहसील सौंसर, जिला पांडुर्णा (मप्र).

2. सम्पत्ति का विवरण:—

1. नगरपालिका क्षेत्र सौंसर के वार्ड क्रमांक 7 तहसील—सौंसर, जिला पांडुर्णा की भूमि खसरा नं. 744 रकबा 15.071 है। आबादी (गावठान) मद की भूमि में से 811 वर्गफिट में बना भवन।
2. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के पास जमा नगद राशि 20,000 / (बीस हजार रुपये)।

अजय देव शर्मा, पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला—मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 27 मार्च 2025

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित,
लफरा, पं. क्रमांक 439, वि.ख. बिछिया, जिला मण्डला,

कारण बताओ सूचना—पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—स.पं.—विधि—परि.—2025—311.—आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लफरा, पंजी, क्रमांक 439 की शिकायकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पीटिशन दायर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 2 दिसम्बर 2024 अनुसार तथा जाँचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार जाँच में पाये गये बिन्दु अनुसार एवं संस्था की अंकेक्षण टीप की जानकारी तथा जाँच में आये बिन्दुओं पर समिति से स्पष्टीकरण चाहा गया था। तत्कालीन अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक मण्डल का जवाब सतोषप्रद न होने के कारण प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथमदृष्ट्या परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आंधार हैः—

1. संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है। सदस्यता सूची संधारित नहीं की गई साथ ही सदस्यता सूची प्राथमिकता के आधार पर नहीं है मनमाने ढंग से बदली गई है। नियम विरुद्ध तरीके से सदस्यता सूची में बार—बार बदलाव किया गया है। संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
2. उपविधि की सदस्यता के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार विधिवत रूप से सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। समिति में सदस्यों को लेकर गड़बड़ी की है प्रस्ताव विधिवत नहीं लिये गये हैं। सदस्यता बनाये जाने पर प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता आवेदन समिति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो समिति द्वारा विधिवत रूप से संधारित नहीं किया गया है।
3. मत्स्याखेट का व्यवसाय कितना किया गया है एवं किन—किन सदस्यों द्वारा मत्स्याखेट किया गया जानकारी का कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया गया। वर्ष 2014—15 का रिकार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है अन्य वर्षों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये।
4. संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है। अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं। संस्था द्वारा केवल वर्ष 2009 से 2010 में आयोजित की गई बैठकों का रिकार्ड एवं वर्ष 2023—24 की बैठकों का रिकार्ड उपलब्ध कराया है। अन्य वर्षों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. कार्यालय की नरस्ती से पता चला है कि संस्था द्वारा निर्वाचन में सदस्यता सूची बार—बार बदलकर प्रस्तुत की गई है। उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
6. संस्था के पंजीकृत पते पर कोई संस्था का कार्यालय नहीं है।
7. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निकाले गये सदस्यों को कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किये गये, न ही कोई उचित कारण दर्शाया गया। संस्था ने नियम विरुद्ध कार्य किया है।
8. संस्था द्वारा प्राप्त आडिटनोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2023—24 में भी संस्था द्वारा कोई कार्य व्यवसाय नहीं किया गया। विगत तीन वर्षों से संस्था अकार्यशील है जिस कारण अंकेक्षक द्वारा परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है।

9. संस्था द्वारा आइसीडीपी एवं बैंक से ऋण लिया गया है जिसकी अदायगी नहीं की जा रही है। वर्तमान में संस्था के पास जलाशय का पट्टा भी नहीं है। संस्था द्वारा कोई व्यवसाय नहीं किया जा रहा है।

उक्त दिये गये बिन्दुओं एवं शिकायत के आधार पर प्रथमदृष्ट्या आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लफरा पंजी क्रमांक 439 वि.ख. बिछिया जिला मण्डला का अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः, मैं, "पायल आस्टकर", सहायक—पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2--2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 यथा—संशोधित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओं सूचना—पत्र जारी करती हूँ कि क्यों न उपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में दिनांक 11 अप्रैल 2025 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओं सूचना—पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1604)

पायल आस्टकर, सहायक पंजीयक।

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
कार्यालय, श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.—परि.—2024—क्यू—कार्यालय उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाइ जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटावद | 661 / 30-7-1982 | 1849 / 31-3-2023 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नावदा | 2754 / 22-10-14 | 1845 / 31-3-2023 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचोला | 607 / 30-7-2014 | 1850 / 31-3-2023 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडगोदा | 2789 / 15-6-2015 | 1846 / 31-3-2023 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डालरिया | 2773 / 15-6-2015 | 1848 / 31-3-2023 |
| 6. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहावद | 759 / 20-10-1983 | 1851 / 31-3-2023 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय—प्रगाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1605)

सुधीर जैन, परिसमापक एवं अंकेशक।

इन्दौर, दिनांक 21 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-क्यू— कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर (म.प्र). पंजीयक क्रमांक—डीआर—आयडीआर—696, दिनांक 15 सितम्बर 1997 है, को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक—परिसमापन-2023-1697, दिनांक 31 मार्च 2023 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के अधिनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी तात्पुरता के बावजूद दावों की दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1606)

सुनील रघुवंशी, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कार्यालय, 123, श्रम शिविर, देवी अहिल्या भार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-क्यू— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 91 / 9-5-2013 | 1808 / 3-6-2024 |
| 2. | किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 73 / 9-5-2013 | 1807 / 3-6-2024 |
| 3. | बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 2552 / 26-10-2012 | 1806 / 3-6-2024 |
| 4. | विध्याचल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 2499 / 20-5-2011 | 1805 / 3-6-2024 |
| 5. | श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 2488 / 1-2-2011 | 1804 / 3-6-2024 |
| 6. | नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 192 / 9-5-2013 | 2074 / 14-6-2024 |
| 7. | विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 104 / 9-5-2013 | 2073 / 14-6-2024 |
| 8. | भमता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 68 / 9-5-2013 | 2072 / 14-6-2024 |
| 9. | श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 55 / 8-12-2022 | 2071 / 14-6-2024 |
| 10. | मारुती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 2450 / 6-3-2010 | 2070 / 14-6-2024 |
| 11. | पी एफ.आई.डी. क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 2799 / 20-8-2015 | 2065 / 31-3-2023 |
| 12. | पत्रकार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 1850 / 6-6-1997 | 2068 / 31-3-2023 |
| 13. | प्रगतिशील एकता सहकारी शाखा संस्था मर्या., इन्दौर | 1764 / 2-2-1996 | 2071 / 31-3-2023 |
| 14. | गांधी आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 164 / 17-6-1974 | 1157 / 31-3-2022 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1607)

निकिता यादव, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक।

इन्दौर, दिनांक 25 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी / ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे पालनभापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | केन्द्रीय देवालय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 325 / 4-3-1983 | 952 / 6-1-2019 |
| 2. | सनी यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | — | 1847 / 3-6-2024 |
| 3. | नर्मदा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 152 / | 1791 / 3-6-2024 |
| 4. | तन्तुमय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., छोटी भमोरी, इन्दौर। | 150 / | 1789 / 3-6-2024 |
| 5. | धनलक्ष्मी बुनकर राहकारी संस्था मर्या., तिल्लौरखुर्द | 148 / | 1787 / 3-6-2024 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1608)

सविता भायरे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2025—चैत्र 28, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)